# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 15/2019

**उनवान**

भैरू पुत्र पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी श्रीनगर रोड, गुलाब बाडी, अजमेर।
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

**बनाम**

1. हमीरा मुतबन्ना हीरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मंडियी, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
2. जरियें राज0 पैरोकार

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

---

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: निर्णय :– दिनांक :– 25/3/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंडियानी के वंर्किग खसरा नम्बर 1358 रकबा 9–5–10, 1356 मिन रकबा 0–16–0 के हाल खसरा नम्बर 1238 रकबा 1.50 व 1047/2209 रकबा 0.13 की आराजी वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.03.1992 को रामचन्द्र व काना पि. हजारी से क्रय कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। क्रय दिनांक से ही वादी आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर अधिकार अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 92 दिनांक 20.06.2008 द्वारा अमल दरामद किया गया। हाल राजस्व अभिलेख में वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 1 का आधा हिस्सा भी आराजी मुतनाजा पर त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दिया गया है। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही किया गया। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण कोई तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किये व वादी भैरू का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 व वादी की सह खातेदारी में दर्ज है। वादी का कथन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:17 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तत्कालीन खातेदार द्वारा भूमि कय करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है। किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र के अनुसार आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 1385 रकबा 9–5–0 आधा हिस्सा व 1356 मिन रकबा 0–16–0 आधा हिस्सा वादी ने तत्कालीन खातेदार रामचन्द्र, काना पि. हजारी से कय की थी। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी खाता संख्या 259/257 में रामचन्द्र, काना पि. हजारी व हमीरा मुतबन्ना हीरा के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुजनाजा पर विक्रेता का 1/2 हिस्सा ही निहित था तथा विक्रेता द्वारा उक्त आराजी में से अपना हिस्सा ही विकय किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा पर अपना हिस्सा विकय नही किया गया है। वादी द्वारा जिन खातेदार से भूमि कय की है उन खातेदार का हिस्सा उसके नाम दर्ज हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 वंर्किग जमाबंदी में 1/2 हिस्से का खातेदार था तथा हाल जमाबंदी में भी 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज है। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम मंडियानी के हाल खसरा नम्बर 1047/2209 रकबा 0.13 व 1238 रकबा 1.50 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान
भैरू बनाम हमीरा
दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 15/2019
पेश करने की दिनांक – 11.02.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मंडयानी के हाल खसरा नम्बर 1047/2209 रकबा 0.13 व 1238 रकबा 1.50 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 3 सन् 2025 को जारी की गयी।

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>फीस कमिश्नर<br>खर्चा गवाहान<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक |
| मिजान | मिजान |

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद